

प्रेस विज्ञप्तिथाना बिलरियागंजछेड़खानी का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार, 02 बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में।

पूर्व घटना विवरण - दिनांक 29.04.2024 को वादिनी मुकदमा थाना बिलरियागंज जिला आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी कि वादिनी मुकदमा की लड़की के साथ विपक्षी फुरकान पुत्र मकसूद के द्वारा रास्ते में आते जाते हुए छेड़खानी करते हुए मोबाइल नम्बर मांगा गया, जिसके सम्बन्ध में उसके घर जाकर पूछताछ करने पर विपक्षी फुरकान पुत्र मकसूद व 02 बाल अपचारी ने मिलकर आवेदिका व उसकी लड़की को गाली गुप्ता हुये धक्का मुक्की करते हुये मारे पीटे व उनके घर कि औरते ईट पत्थर चला कर मारने तथा गाली गुप्ता जाति सूचक शब्दों के प्रयोग किया गया, के सम्बन्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 130/24 धारा 354, 323, 336, 504, 506 भादवि व 3(1)W(1), 3(1)द,3(1)ध, 3(2) 5क SC/ST ACT बनाम 1. फुरकान पुत्र मकसूद 02 बाल अपचारी समस्त निवासी गण मधनापार थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण:-

दिनांक 01.05.2024 को व0उ0नि0 रविन्द्र नाथ पाण्डेय मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त

1. फुरकान पुत्र मकसूद निवासी मधनापार थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ को मधनापार तिराहे से समय 11.30 बजे गिरफ्तार किया गया तथा 02 बाल अपचारी को भी पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

• मु0अ0सं0 130/24 धारा 354, 323, 336, 504, 506 भादवि व 3(1)W(1), 3(1)द,3(1)ध, 3(2) 5क SC/ST ACT थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. फुरकान पुत्र मकसूद सा0 मधनापार थाना बिलरियागंज आजमगढ़।

1. 02 बाल अपचारी

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. व0उ0नि0 रविन्द्रनाथ पाण्डेय मय हमराह थाना बिलरियागंज आजमगढ़।

थाना- मेंहनगरशातिर अभियुक्त अवैध तमंचा के साथ गिरफ्तार

दिनांक- 30.04.2024 को चौकी प्रभारी सिंहपुर पवन कुमार सिंह हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान टोडरपुर कब्रिस्तान मोड से एक मोटरसाईकिल आती हुई दिखायी दी जिसे रोककर तलाशी की गयी जिसके पास से एक अदद तमंचा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। पकड़े गये व्यक्ति ने अपना नाम प्रिंस कुमार S/O हरिकेश उर्फ डब्लू नि0 ग्राम सुल्तानीपुर थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ बताया। अभियुक्त उपरोक्त को समय 23.30 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु.अ.सं 165/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम प्रिंस कुमार S/O हरिकेश उर्फ डब्लू नि0 ग्राम सुल्तानीपुर थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ के पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण: प्रिंस कुमार S/O हरिकेश उर्फ डब्लू नि0 ग्राम सुल्तानीपुर थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़

बरामदगी का विवरण:- एक अदद तमंचा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर

पंजीकृत अभियोग- मु.अ.सं 165/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास -

1.मु.अ.सं. 196/22 धारा 34/323/504/506/307 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना मेंहनगर आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम - उ0नि0 पवन कुमार सिंह हमराह HC ध्रुवनारायण सिंह HC नागेश्वर लाल वर्मा थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़

थाना – कन्धरापुर

गांजा के साथ हिस्ट्रीशीटर शातिर अपराधी गिरफ्तार

दिनांक 30.04.24 को उ0नि0 अजय कुमार सिंह मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान मन्दुरी तिराहे से तहबरपुर रोड गदनपुर हिच्छनपट्टी नहर पुलिया से थाना कंधरापुर का हिस्ट्रीशीटर रामचेत निषाद (एच.एस. नं0 52ए/सक्रिय अपराधी) पुत्र मोती लाल निषाद ग्राम भोरामकबुलपुर थाना कंधरापुर जनपद आजमगढ उम्र करीब 40 वर्ष को 1 kg 125 ग्राम गांजा के साथ समय 21.40 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 126/24 धारा 8/20 NDPS Act. थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 115/20 धारा 379/411 भादवि थाना कन्धरापुर आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 06/21 धारा 379/411 भादवि थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़।
3. मु0अ0सं0 06/22 धारा 60 आबकारी एक्ट. थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़।
4. मु0अ0सं0 186/22 धारा 25(1-ए)/3 थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़।
5. मु0अ0सं0 50/23 धारा 3/5ए/8 गो0नि0अधि0 व 11 पशु क्रुरता अधि0 थाना कन्धरापुर आजमगढ़
6. मु0अ0सं0 337/23 धारा 60 आबकारी एक्ट थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़
7. मु0अ0सं0 278/23 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़
8. मु0अ0सं0 126/24 धारा 8/20 NDPS Act. थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता –

1- रामचेत निषाद (एच.एस. नं0 52ए/सक्रिय अपराधी) पुत्र मोती लाल निषाद ग्राम भोरामकबुलपुर थाना कंधरापुर जनपद आजमगढ उम्र करीब 40 वर्ष ।

बरामदगी-

1- 1 kg 125 ग्राम गांजा नाजायज ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 श्री अजय कुमार सिंह , हे0का0 सुरेन्द्र शर्मा थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़।